राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 00718/2023

सरिता कुमारी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
4. प्रखंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदयपुरवाटी, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.01.2023
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप ग्रासा, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भौडकी, झुंझुनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उपकेंद्र तालसर, बाडमेर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 600 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 19.01.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश में नाम सरिता कुमारी के स्थान सता कुमारी है। उनका स्थानान्तरण असक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 03.01.2023

(अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 19.01.2023 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भौडकी, झुंझुनू में कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नर्सिंग अधिकारी के पद पर राजकीय सेटेलाईट हॉस्पीटल, खैरथल, अलवर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

6 अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 600 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू. एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

7 जहां तक अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में (अनुलग्नक–1) के अनुसार नाम में त्रुटि होने का प्रश्न है जो कि कार्यमुक्ति आदेश (अनुलग्नक–2) से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के नाम कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल नहीं पाते है।

8 जहां तक आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम 2011 के विपरित जारी किये जाने का प्रश्न है हमारे निनम्रमत में आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आदेश में स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है इसलिए आलोच्य आदेश में उक्त नियम की विरूद्धता प्रकट नहीं होती है। अतः अपीलर्थी की अपील में कोई बल नहीं पाते है।

9 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य